



Neutral Citation No. - 2026:AHC:9806

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट ए संख्या 287 सन् 2026

रवींद्र सिंह

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता :

अनिल कुमार

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता :

सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अनिल कुमार पांडे और राज्य की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री राहुल मालवीय को सुना गया।
2. विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में यह कथन किया गया है कि निर्देश पर्याप्त हैं और वे इस प्रकरण पर बहस करने की स्थिति में हैं।
3. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की सहमति से, रिट याचिका पर नए सिरे से निर्णय लिया जा रहा है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. याचिकाकर्ता का कहना है कि वह 28.02.1990 से 13.08.2025 तक गोरखपुर जिले में लगातार होम गार्ड के रूप में कार्यरत रहा है। वर्ष 2006 में, 27.05.2006 को धारा 363 और 366 आईपीसी के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 279/2006 दर्ज की गई। याचिकाकर्ता का कहना है कि यद्यपि जांच की गई और आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया, लेकिन आज तक आरोप तय नहीं किए गए हैं।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि उनकी उम्मीदवारी रद्द क्यों न की जाए। याचिकाकर्ता ने जवाब दिया और अब 17.11.2025 को जिला कमांडेंट, होम गार्ड्स, गोरखपुर ने याचिकाकर्ता द्वारा इस न्यायालय के रिट-ए संख्या 14212/2025 के निर्देशानुसार दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया। जिला कमांडेंट, होम गार्ड्स, गोरखपुर द्वारा 17.11.2025 को पारित आदेश को चुनौती देते हुए यह याचिका दायर की गई है।

6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क देने का प्रयास किया है कि आक्षेपित आदेश एक क्षण के लिए भी टिक नहीं सकता, विशेषकर तब जब यह 18.08.2023 के शासकीय आदेश पर आधारित है, जिसमें आपराधिक धाराओं के संबंध में ऐसा वर्गीकरण किया गया है जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, जिनमें अपराधों के लिए 7 वर्ष से कम और 7 वर्ष और उससे अधिक की आयु सीमा निर्धारित है। उनका कहना है कि आज तक आरोप तय नहीं किए गए हैं और याचिकाकर्ता की नियुक्ति 1990 से है, और केवल उनके खिलाफ दर्ज की गई निराधार एफआईआर के आधार पर, वह भी बिना आरोप तय किए, याचिकाकर्ता की सेवाएं समाप्त नहीं की जा सकतीं। वे इस न्यायालय की समन्वय पीठ के **महेश सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, 2025 लॉ सूट (इला) 1026** के फैसले पर भरोसा करना चाहते हैं, जिसमें धारा 5, 6 और 8 को अधिकार क्षेत्र से बाहर घोषित किया गया था।

7. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता का कहना है कि चाहे जो भी हो, याचिकाकर्ता के खिलाफ गंभीर आरोप हैं, हालांकि, वे इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकते कि दिनांक 18.08.2023 के शासकीय आदेश की धारा 5, 6 और 8 निरर्थक हो गई हैं। उनका कहना है कि इस प्रकरण पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।

8. मैंने बार में दिए गए सभी निवेदनों को सुना है और अभिलेख का अध्ययन किया है।



9. तथ्य विवादित नहीं हैं। यह विवादित नहीं है कि याचिकाकर्ता को वर्ष 1990 में होम गार्ड के रूप में भर्ती किया गया था और उसके बाद एक आपराधिक प्रकरण दर्ज होने के कारण कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसका याचिकाकर्ता ने जवाब दिया था और उसके बाद एक रिट याचिका भी दायर की गई थी, जिसमें दिए गए निर्देश के अनुसार अभ्यावेदन को खारिज कर दिया गया है। दिलचस्प बात यह है कि आक्षेपित आदेश दिनांक 18.08.2023 के शासकीय आदेश पर आधारित है। **महेश सिंह (उपरोक्त)** प्रकरण में निम्नलिखित टिप्पणी की गई थी:

18. उचित उपाय यह होता कि आपराधिक प्रकरण में आरोपित सभी व्यक्तियों को निलंबित कर दिया जाता, विभागीय कार्यवाही की जाती और कार्यवाही के परिणाम आने तक प्रकरण-दर-प्रकरण आधार पर उनकी बहाली भी की जाती। चूंकि होम गार्ड बल केवल स्वयंसेवकों का बल है, इसलिए कारण बताओ नोटिस के साथ संक्षिप्त जांच पर्याप्त होती। सरकार ऐसे स्वयंसेवकों के कर्तव्यों को निलंबित रखकर आपराधिक कार्यवाही के परिणाम की प्रतीक्षा भी कर सकती थी। यदि ऐसे स्वयंसेवक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो मुकदमे की सुनवाई के दौरान आरोपित और आरोपित न किए गए व्यक्तियों के बीच नियमों में भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए।

19. यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि पुलिस द्वारा दायर की गई आरोपपत्र मात्र दोषसिद्धि की गारंटी नहीं है। जहाँ तक जनमानस की दृष्टि से देखा जाए, चाहे अपराध छोटा हो या बड़ा, जेल भेजे गए व्यक्तियों को अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। सरकार, जो एक कल्याणकारी राज्य है, को ऐसी धारणा नहीं बनानी चाहिए, इसलिए आरोपपत्र दायर किए गए सभी व्यक्तियों को, यदि जमानत पर रिहा किया जाता है, तो दोषसिद्धि होने तक या संभावनाओं की प्रबलता के सिद्धांत पर संक्षिप्त जांच के परिणामस्वरूप अनुशासनात्मक कार्रवाई होने तक सेवा से नहीं हटाया जाना चाहिए। ऐसे प्रकरण हो सकते हैं जहाँ कोई कर्मचारी आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए कृत्य और आचरण के लिए आपराधिक प्रकरण में फँस जाता है, या जहाँ वह निजी प्रतिद्वंद्वी विवादों के परिणामस्वरूप मारपीट/धोखाधड़ी/फर्जीवाच्य और जालसाजी के कथित कृत्य के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट में फँस जाता है। पहले प्रकरण में, एक संक्षिप्त विभागीय जांच संस्थान और कर्मचारी दोनों के लिए न्यायसंगत हो सकती है, जबकि दूसरे प्रकरण में,

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



मुकदमे के परिणाम की प्रतीक्षा करनी होगी। इसलिए, केवल आरोपपत्र दायर करने मात्र से स्वतः ही रोजगार समाप्त नहीं हो जाना चाहिए।

20. अतः, शासकीय आदेश के खंड 8 के तहत किया गया वर्गीकरण संविधान के अनुच्छेद 14 के विरुद्ध है, क्योंकि यह भेदभावपूर्ण होने के कारण संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन माना जाना चाहिए।

21. उपरोक्त के मद्देनजर, इसलिए, दिनांक 18 अगस्त, 2023 के शासकीय आदेश के खंड 5 और 6 में 7 वर्ष या उससे कम की सजा वाले अपराधों और 7 वर्ष से अधिक की सजा वाले अपराधों के लिए आरोपपत्र के आधार पर किया गया वर्गीकरण भेदभावपूर्ण और मनमाना है और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है और इसलिए ऐसे भेदभाव की सीमा तक इसे निरस्त किया जाना चाहिए।

22. तदनुसार, दिनांक 18 अगस्त, 2023 के शासकीय आदेश का खंड 5, जहाँ तक यह उन होम गार्ड स्वयंसेवकों की बहाली से इनकार करता है, जिन्हें जमानत पर रिहा किया गया है और जिन पर 7 वर्ष या उससे अधिक की निर्धारित सजा वाले अपराध का आरोप पत्र है, संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन माना जाता है और उस हद तक निरस्त किया जाता है। इसी प्रकार, दिनांक 18 अगस्त, 2023 के शासकीय आदेश का खंड 6, जो उन होम गार्ड स्वयंसेवकों की तत्काल बर्खास्तगी का प्रावधान करता है, जिन पर 7 वर्ष से अधिक की निर्धारित सजा वाले अपराध का आरोप पत्र है, संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन माना जाता है और उस हद तक निरस्त किया जाता है। इसी प्रकार, दिनांक 18 अगस्त, 2023 के शासकीय आदेश का खंड 8, जहाँ तक यह आरोप पत्र प्राप्त कर्मचारियों की बहाली के प्रयोजन के लिए 7 वर्ष या उससे अधिक की सजा वाले अपराध और 7 वर्ष या उससे कम की सजा वाले अपराध के बीच भेदभाव करता है, संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन माना जाता है और तदनुसार, उस हद तक निरस्त किया जाता है।

23. याचिकाकर्तागण को निर्देश दिया जाता है कि वे जमानत पर रिहा होने के कारण बहाली के उद्देश्य से अपना अभ्यावेदन आज से चार सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करें और



उनके अभ्यावेदनों पर तदनुसार विचार किया जाएगा और अगले छह सप्ताह की अवधि के भीतर उनका निस्तारण किया जाएगा।

10. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि महेश सिंह (उपरोक्त) के फैसले में दिनांक 18.08.2023 के शासकीय आदेश के खंड 5, 6 और 8 को अधिकार क्षेत्र से बाहर माना गया है और 7 वर्ष से कम और 7 वर्ष से अधिक के अपराधों के संबंध में सजा के लिए किए गए वर्गीकरण को भी अधिकार क्षेत्र से बाहर माना गया है, इसलिए इस प्रकरण पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। तदनुसार, प्रत्यर्थी संख्या 2 - जिला कमांडेंट, होम गार्ड, गोरखपुर द्वारा दिनांक 17.11.2025 को पारित आदेश को अपास्त किया जाता है और इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर एक नया आदेश पारित करने के लिए प्रकरण को वापस भेजा जाता है।

11. उपरोक्त टिप्पणी के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

14 जनवरी, 2026

आर.एस. तिवारी

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)